R. M. M. Law College Saharsa
Amrendra Kumar Trivedi
Part-Time Law Teacher
Subject - Evidence

5. अनुश्रुत साक्ष्य

अनुश्रुत साक्ष्य उस साक्ष्य को कहते हैं
जो न्यायालय में उपस्थित होकर यह कहता
है कि साक्षी यह कहता है कि घटना [illegible] को
उसने नहीं देखा बल्कि इसने व्यक्ति से उसने
कथित घटना को घटित होते सुना है।
यह कमजोर साक्ष्य न्यायालय में माना
जाता है। ऐसी दशा में उस साक्ष्य का मूल्य
साक्ष्य गवाही देने वाले व्यक्ति पर निर्भर
करता है। और यह एक प्रकार अनुश्रुत
साक्ष्य का अनुवाद सा होने के बाद अनेकों बार
साक्ष्य का स्वीकार करना पड़ता है, इसके
प्रक्रिया लम्बी और दीर्घकालिक हो जाती है।
इसी प्रकार - गवाही किसी भी व्यक्ति के
बोल गवाही (साक्ष्य) नहीं माना जाता है।
किसी व्यक्ति की मृत्युकालिक घोषणा
और किसी के द्वारा देखा जाना, या
किसी के द्वारा सुना जाना यह तीन
अलग-अलग साक्ष्य है और उसको
अलग-अलग साक्ष्य अपने ढंग से
महत्व न्यायालय
प्रदान करता है।
कुछ पेशेवर गवाह होते हैं, जो ठीक न्यायालय
लाभ के लिये अनुचित भी बोल देते हैं
न्यायालय का कर्तव्य है कि कहाँ तक उस
गवाह पर विश्वास करे। दीवानी, फौजदारी
दोनों मामले में साक्ष्य क्रियाशील होते हैं